न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : **18/436**

1. निसार मोहम्मद आत्मज नूर मोहम्मद जाति फकीर मुसलमान निवासी अनन्तगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. सलीम मोहम्मद आत्मज नूर मोहम्मद जाति फकीर मुसलमान निवासी अनन्तगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् नायब तहसीलदार, दबलाना जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार, दबलाना जिला – बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम अनन्तगंज की आराजी खसरा नं. 193 रकबा 05 बिस्वा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने से 90 दिवस (तीन माह) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 19.10.2016 द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला

कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.06.2018 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज कर दी ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट भूमिहीन होने तथा अबादी भूमि में आपीलान्ट के कोई आवासीय मकान नहीं होने तथा अपीलाधीन भूमि पर ही अपीलान्ट मकान व बाडा बनाकर निवास करने के बाबत् ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रपोर्ट को सही मानते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा सिविल कारावास की सजा माफ की जावे ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया । अपीलान्ट भूमिहीन होने तथा आबादी भूमि में आपीलान्ट के कोई आवासीय मकान नहीं होने तथा अपीलाधीन भूमि पर ही अपीलान्ट मकान व बाडा बनाकर निवास करने के बाबत् ग्राम पंचायत का प्रमाण पंत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रपोर्ट को सही मानते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की प्रोपर तामील नहीं करवाई किस तारीख को किन गवाहान के समक्ष अपीलान्ट की तामील कुनिन्दा द्वारा तामील करवाई इसके बाबत् कोई स्पष्ट अंकन नहीं होने के बावजूद फर्जी तामील के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया गया है जो गैर कानूनी है । अपीलान्ट उक्त भूमि पर मकान व बाडा बनाकर निवास कर रहा है इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय नजर अन्दाज करके उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 निरस्त फरमाया जावे तथा राज्य सरकार जारी परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 कमांक 09(6)राज–6/2000/2 दिनांक 30.01.2006 व परिपत्र दिनांक 01.01.2017 की अनुपालना में भूमि नियमन करने के निर्देश पारित किया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 1986 पेज 544 उद्धरत की ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है उक्त वादग्रस्त आराजी पर उसने मकान व बाडा बनाया हुआ है जिस पर वह अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है । अतः उक्त भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में नियमन किया जावे । चूँकि वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक दर्ज है जिस पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलान्ट इस अपील में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है । अपीलान्ट उक्त भूमि का अपने पक्ष में नियमन कराना चाहता है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है । परीक्षण न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपीलान्ट पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी है ।

8. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट ख़ारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट उक्त भूमि पर नियमन सम्बन्धी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

10. निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा